संख्या-201/2026/1907/22-2-2024-17(621)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 17 मार्च, 2026

विषय:- जिला कारागार, उन्नाव में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजू उर्फ चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री अनिरूद्ध द्विवेदी, निवासी जनपद-लखनऊ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-16.09.2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, उन्नाव में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजू उर्फ चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री अनिरूद्ध द्विवेदी, जो निगोहा, थाना-मोहनलाल गंज, जनपद-लखनऊ का निवासी है। जटाशंकर की पुत्री मीना ससुराल में खाना बनाते समय जलकर मर गयी। इसी का बदला लेने के उद्वेश्य से दिनांक 21/22-06-1985 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोली मारकर रामआसरे नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-406/1985, भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, स्पेशल न्यायाधीश, उन्नाव के दण्डादेश दिनांक 03-05-1986 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 06-03-2020 द्वारा निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 08-09-2023 अपरिहार 07 वर्ष 10 माह, 20 दिन तथा सपरिहार 09 वर्ष, 00 माह 05 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दियों अथवा उनके परिजन द्वारा प्रस्तुत दयायाचिकाओं के निस्तारण हेतु प्रक्रिया निर्धारित करते हुए निर्गत शासनादेश संख्या-660/22-2-2005-17(346)/92, दिनांक 13.04.2005 में प्राविधानित बिन्दुओं पर सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट की आख्या / संस्तुति प्राप्त किया गया। पुलिस उपायुक्त, लखनऊ द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का कोई अवसर होने, पुन अपराध करने में अशक्त नहीं होने, परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा पुलिस उपायुक्त, लखनऊ की आख्या से सहमत होते हुए सिद्धदोष बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

सिद्धदोष बन्दी राजू उर्फ चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री अनिरूद्ध द्विवेदी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। बन्दी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 08.09.2023 तक अपरिहार 07 वर्ष 10 माह 20 दिन तथा सपरिहार 09 वर्ष, 00 माह 05 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल सन्देश जाने तथा पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

//shasanadesh.up.gov.in

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, उन्नाव में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजू उर्फ चन्द्र प्रकाश (बन्दी संख्या-311/2019) पुत्र श्री अनिरूद्ध द्विवेदी, निवासी जनपद-लखनऊ की 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-201/2026/1907(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
2- पुलिस उपायुक्त, लखनऊ।
3- अधीक्षक, जिला कारागार, उन्नाव।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।